



प्रेषक,

संजीव रंजन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक: 20 जुलाई, 2026

विषय:- नेशनल क्रॉप इन्श्योरेंस प्रोग्राम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या:एस-342/लेखा/वित्तीय स्वीकृति/2026-27 दिनांक 24 जून, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-110-फसल बीमा-04-नेशनल क्रॉप इन्श्योरेंस प्रोग्राम-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि 45000.00 लाख (रूपये चार अरब पचास करोड़ मात्र) के सापेक्ष प्रस्तावित धनराशि धनराशि रूपये 8794.28 लाख (रूपये सत्तासी करोड़ चौरानबे लाख अट्ठाइस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-110-फसल बीमा-04-नेशनल क्रॉप इन्श्योरेंस प्रोग्राम-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि 45000.00 लाख (रूपये चार अरब पचास करोड़ मात्र) के सापेक्ष प्रस्तावित धनराशि रूपये 8794.28 लाख (रूपये सत्तासी करोड़ चौरानबे लाख अट्ठाइस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

शर्तें/प्रतिबन्ध

1. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य कृषि निदेशक, उ०प्र० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
2. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्य में आहरित कर व्यय की जायेगी।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइड लाइन एवं संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
4. आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
7. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की गाइड-लाईन्स/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।
10. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
11. उक्त वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का रहेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही करते हुए व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
13. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।
14. वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व कृषि निदेशक के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
15. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
16. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

17. कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। धनराशि आहरित कर किसी बैंक खाते में रक्षित नहीं की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 87,94,28,000 (रुपये सत्तासी करोड़ चौरानबे लाख अट्ठाईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 011 लेखा शीर्षक 2401001100400 नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम मानक मद 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या **E-1-84-X-2026-27-दिनांक:9-7-2026** में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
संजीव रंजन
विशेष सचिव।

संख्या- 43(1)/2026/001-840-2026-1891559-12-2099-33-2025, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
3. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
6. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ०प्र०।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
डॉ० रंजना दूबे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।